संख्या-32/2015/1514 सी0डी0/46-3-15-1000(69)/2014

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 23 जून, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में से शक्कर विशेष निधि एवं प्रचार निधि के अधिष्ठान व्यय की विभिन्न मदों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 03.06.2015 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में **कार्यसूची संख्या-6** के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये शक्कर विशेष निधि तथा प्रचार निधि अधिष्ठान हेतु विभिन्न मदों में व्यय हेतु, **नीचे दिये गये विवरण एवं मद के अनुसार**, कुल धनराशि **रू0 1,38,55 हजार (रूपया एक करोड़ अडतीस लाख पचपन हजार मात्र)** को आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अ- शक्कर विशेष निधि अधिष्ठान हेतु

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सँ0	मद	धनराशि
1	वेतन	24.09
2	महँगाई भत्ता	28.71
3	अन्य भत्ते	10.25
4	अवकाश यात्रा सुविधा	0.20
5	यात्रा भत्ता	0.30
6	मानदेय	0.80
7	सेवा निवृत्ति अवकाश नकदीकरण/ग्रेच्युटी आदि	4.90
8	कार्यालय व्यय	0.35
9	कम्प्यूटर अनुरक्षण	1.10
10	लेखन सामग्री	1.00
11	रिट याचिकाओं की पैरवी एवं अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक व्यय	0.50
12	वाहनों के पेट्रोल एवं अनुरक्षण पर व्यय	25.00
	योग-अ	**97.20**

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ब-प्रचार संगठन अधिष्ठान हेतु

क्र0 सँ0	मद	धनराशि
1	वेतन	15.25
2	मँहगाई भत्ता	17.50
3	अन्य भत्ते	5.20
4	यात्रा भत्ता	0.05
5	टेलीफोन, ब्राडबैण्ड	0.35
6	प्रचार वाहनों के अनुरक्षण आदि	3.00
	योग-ब	**41.35**
	महायोग (अ+ब)	**138.55**

(रूपया एक करोड़ अड़तीस लाख पचपन हजार मात्र)

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि का व्यय शक्कर विशेष निधि के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/ बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा, साथ ही शक्कर विशेष निधि अधिष्ठान एवं प्रचार निधि अधिष्ठान को उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का भुगतान करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन मदों में भुगतान किया जा रहा है, उसकी अनुमन्यता का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लें कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का शासनादेशों/नियमों में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से कोई अन्य व्यय वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/ निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी0एल0ए0 अथवा पोस्टआफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि की, दी गई तालिका में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी। -------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उपर्युक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24(आयोजनेत्तर) के अधीन लेखा शीर्ष-**''2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0301- उ0प्र0 गन्ना अनुसन्धान एवं विकास निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय''** के नामे डाला जाएगा।

भवदीय

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या-32/2015/1514 सी0डी0/46-3-15-1000(69)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सँयोजक, उ0 प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।